

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, सोनभद्र।

पत्रांक-

/ जि0का0अधि0 / आ0वा0का0विज्ञप्ति / 2026-27 / दिनांक- 05 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या - 1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना बभनी, चतरा, चोपन, दुद्धी, घोरावल, म्योरपुर, नगवों एवं राबर्ट्सगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विकास खण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत है -

क्र० स०	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की आरक्षण श्रेणी				कुल योग कॉलम (5+6+7+8)
				SC	ST	OBC	UR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बभनी	आ०वा० कार्यकर्त्री	12	6	1	3	2	12
2	चतरा	आ०वा० कार्यकर्त्री	16	2	0	5	9	16
3	चोपन	आ०वा० कार्यकर्त्री	25	4	1	5	15	25
4	दुद्धी	आ०वा० कार्यकर्त्री	12	4	0	3	5	12
5	घोरावल	आ०वा० कार्यकर्त्री	36	4	1	13	18	36
6	म्योरपुर	आ०वा० कार्यकर्त्री	20	6	1	3	10	20
7	नगवों	आ०वा० कार्यकर्त्री	27	12	0	7	8	27
8	राबर्ट्सगंज	आ०वा० कार्यकर्त्री	53	18	3	14	18	53
योग			201	56	7	53	85	201

उपर्युक्त रिक्त पदों का केन्द्रवार/ग्रामसभावार/वार्डवार/केन्द्र आरक्षण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट/विकास भवन/जिला कार्यक्रम कार्यालय/समस्त तहसील/नगर पालिका/नगर पंचायत/विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर भी उपलब्ध है।

विज्ञप्ति पदों की आहर्ता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश :-

- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। उपर्युक्त शासनादेश को उ०प्र० शासनादेश के आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु शासनादेशानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी, अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक तक के प्राप्तांक/पूर्णांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। हाईस्कूल के अंकों को मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक - 01.07.2026 से की जायेगी। आयु के सम्बन्ध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
 - सीधी भर्ती हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयन की वरीयता:-
 - (I) उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (II) उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - (III) विधवा/तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।
- (ख) उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उपर्युक्त वरीयता क्रम में ही-
- (I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - (III) विधवा/तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।

7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
8. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के राजस्व अनुभाग 9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - 3959 11-9-11-10-9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
9. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2025 दिनांक 14.09.2015 (यथासंशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
10. ऑनलाइन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के स्वयं के नाम का ही दर्ज/अपलोड किया जाये, साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन क्रमांक तथा प्रमाण पत्र क्रमांक सही-सही प्रविष्ट किया जाये, जिसका ऑनलाइन सत्यापन हो सके।
11. शासनादेश संख्या 1/1092245 /2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 के क्रम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
12. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आँकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
13. ऑनलाइन आवेदन दिनांक- 06.08.2026 से दिनांक 26.08.2026 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

नोट - रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

(विनीत कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सोनभद्र।

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, सोनभद्र।

पृष्ठांकन पत्रांक- C-759 /तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
4. समस्त उप जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5. अध्यक्ष/ समस्त सदस्य, चयन समिति, सोनभद्र।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०), सोनभद्र।
7. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः 02 मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञप्ति का विवरण प्रचार-प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सोनभद्र।